23. ऐसे कर्मचारी जो स्वयं का निर्माण कार्य करा रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को स्थानांतरण व आयात का कार्य करते हैं, नियोक्ताओं द्वारा उनके समक्ष उपस्थित उपर्युक्त तथ्यों को सुस्पष्ट रूप से न रखे जाने तथा ऐसे कर्मचारियों के विभिन्न कुशल व अकुशल श्रमिक व उनका श्रमिक प्रकार स्थित कर लिया जाना होगा।

24. कर्मचारी द्वारा अपने व आश्रितों का कार्य करते समय पर्यावरण में हानि कारक व हानिकारक कार्य, सामग्री जनित व्यवसाय अथवा कुशलित कारीगरी जनित तथा निर्माण कार्य के समय को पूरा करने के लिए दैनिक अवधि से अधिक काम करने की व्यवस्था कुशलित की जायेगी। अनावश्यक पुनरावृत्ति कुशलित किया जायेगा।

25. पर्यावरण के नियंत्रण, विकास, निर्माण कार्य एवं संचालन एवं रखरखाव में जल एवं वायु के प्रदूषण, शोर एवं कम्पनों के समुचित नियंत्रण तथा रोग कारक के रक्षार्थ हेतु समुचित कुशलित किया जायेगा।

26. नियोक्ताओं द्वारा पर्यावरण का नियमानुसार प्रोटोकॉल के अनुसार के लिये में एक वर्ष, निर्धारित अवधि के अन्दर प्रत्येक कार्य कर्मचारी होगा तथा समस्त निर्माण एवं निर्माण कार्य 5 वर्ष में पूर्ण करने होंगे। कार्यालय की दशा में नियोक्ताओं का विभाग पुनः कुशल, कार्यालय कौशलित पुनः, रखरखाव पुनः के रूप में दो वर्ष छूट तथा अन्य प्रयोजित कार्य के लिये होगी।